न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास -- श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :— 544 / 2007
दायर दिनांक :— 19.11.2007

अनवान

श्रीमति प्रेम बाई पिता वृद्धिशंकर शर्मा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

वादीया.....

बनाम

1. श्री सुआ पिता बख्तावर कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
2. श्री. गोपाल पिता बख्तावर कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
3. श्री कालू पिता बख्तावर कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
5. श्री रामप्रसाद पिता नन्दा कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
6. श्री मोहन पिता नन्दा कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
7. श्रीमति कल्ली पत्नि नन्दा कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
8. श्री भागुता पिता मांगीलाल कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
9. श्री नारायण पिता मांगीलाल कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
10. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
11. श्री मगना पिता उंकार कीर नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
12. श्रीमति चन्द्रकांता पत्नि गोविन्द लाल शर्मा नि. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, वकील वादी
2. श्री छीतर लाल रेगर, वकील प्रतिवादीगण

:: आदेश :: दिनांक 16.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की साबिक बन्दोबस्त आ0 न0 654 / 2 रकबा 8.14 बीघा, आ.न. 859 / 2 रकबा 9.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 17.14 बीघा वादीया एव प्रतिवादी सं. 12 के पिता वृद्धीशकर पिता बदरीलाल ब्राहमण नि. जहाजपुर के कब्जे एव खातेदारी में रही हैं मे मुझ प्रार्थिया ने ज्वार की फसल की बुवाई कराई व हाल फसल उदालू में खेड पडत हैं। प्रतिवादी सं. 11 मगना वादिया के सिजारी होने से एवं आ.न. 654 / 2 के नवीन बन्दोबस्ती जुज भाग आ.न. 5760, 5895, 5891, 5892 है जो मगना को बेच देने से प्रकरण मे पक्षकार बनाया है। वादिया के पिता वृद्धिशंकर जो पेशे से अध्यापक है जो वर्ष 1948 में अध्यापक पद से सेवानिवृत हुये एव जिनका देहावसान मार्च 1982 में हुआ उनके जीवनकाल में इस कृषि भूमि पर वादिया के पिता ही काश्त करते रहे है। और उनकी मृत्यु के पश्चात वादिया एव अपने पडोसी मगना पिता उंकार मीणा से बहेसियत सिजारी काश्त करवाती रही है विवादित आराजी हाल खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

5760 को सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण सं 1 से 9 बुजुर्ग मांगीलाल पिता छोटु कीर नि. भगता की झुपडिया सेंटलमेन्ट अधिकारियो से मिलकर अपने नाम वादिया के स्वर्गीय पिता वृद्धीशंकर से फर्जी अगुठा निशानी के आधार पर अपने खाते दर्ज करा ली। सेटलमेन्ट अधिकारियों नें बिना किसी छानबिन के तथा बिना किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं बिना सक्षम न्यायालय की डिकी के मनमसखूर तरीके से मांगीलाल पिति छोटु कीर के नाम पर गलत दर्ज कर दी है। जो काबिल खारीज के हैं वादीया को पिता जो अध्यापक थे सदेव हस्ताक्षर करते है वर्ष 1965 मे उनके द्वारा वृद्धिशंकर द्वारा अगुंठा लगाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता था वे हस्ताक्षर करते रहे हैं 03.08.65 को उनकी और से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जहाजपर को प्रार्थना पत्र पेश हुआ मैने 654/2 रकबा 8.14 बिघा मांगू पिता छोटु कीर को बेचान कर दी हैं खाता इसके नाम परिवर्तित कर दिया जावे। वृद्धिशंकर का अगुंठा निशानी लगा हुआ है। जो फर्जी है इस प्रार्थना पत्र के आधार पर ए एस ओ ने मिसल नं. 1170 दिनांक 22.08.65 को फैसल करते हुये नवीन बन्दोबस्त आराजी नं. 5760 के लिये कोई आदेश नही होते हुये भी आ.न. 5760 रकबा 5.18 बीघा प्रतिवदीगण सं. 1 से 9 के बुजर्ग मांगीलाल पिता छोटु कीर के नाम पर दर्ज की हैं इन्द्राज आर टी ए की धारा 42 के प्रतिकूल हैं तथा फेगमेन्टशन की तारीफ में आता है। यह इन्द्राज वादिया व उसके पिता के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। मिसल नं. 170 के आधार पर की गई इन्द्रा की कार्यवाही अनाधिकृत अवैध एवं विधि विरूद्व है। सेटलमेन्ट अधिकारियो को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई अधिकार नही था। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्व यह भुमि अपने नाम पर दर्ज करा ली है जो गलत होने से खारीज होने योग्य हैं यह भूमि वादिया अपने नाम दर्ज कराये जाने की अधिकारीणी हैं प्रतिवादी सं 12 वादीया की बहिन हैं वादिया ने जीवन पर्यन्त तक अपने पिताजी की सेवा की हैं जिसके वास्ते प्रतिवादिया सं. 12 ने मौखिक रूप से अपने हिस्से का परित्याग वादिया के पक्ष में कर दिया है इस प्रकार वादीया ही वृद्विशंकर की कृषि भूमि की एक मात्र उत्तराधिकारीणी है, राजस्व अभिलेख मे विवादित आराजी नं. 5760 को अपने खाते मे दर्ज कराने की अधिकारिणी है। विवादित आराजी नं. 5760 रकबा 5.18 बीघा जिस पर मुझ वादिया की और से मेरा आदोलिया मगना पिता उंकार मीणा के द्वारा दिनांक 10.06.92 को आ.न. 5760 को हांकने पर प्रतिवादी सं 6 मोहन पिता नन्दा कीर ने थाना जहाजपुर मे दिनांक 15.6.92 को मेरे आदोलिये एव उनके परिवार के अन्य सदस्यो के विरूद्व 147, 447 आई पी सी का मुकदमा दर्ज करवाया जो एफ आई आर नं. 153/92 थाना जहाजपुर दर्ज रजिस्टर हुआ। जिस पर वादिया को दिनांक 15.06.92 को जानकारी हुई की वादिया की आ.न. 5760 रकबा 5.18 बीघा को प्रतिवादीगण ने अपने खाते दर्ज करा ली हैं अतः बिनायमुखास्मत दावा दिनांक 15.06.92 से उत्पन्न होकर जारी हैं राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादीगण का इन्द्राज विधि विरूद्व दर्ज हुआ हैं वादिया का आ. न. 5760 रकबा 5.18 बीघा के लियो खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादीगण के नाम खारिज करा वादिया के नाम दर्ज कराये जावे मुझ वादिया या मेरे नोकर ऐजेन्टो द्वारा काश्त किये जाने पर उनके शांतिपुर्ण कब्जे मे किसी प्रकार का दखल न करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण सादर कराये जाने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट द्वारा अधिकारी पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 9 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि उक्त आराजियात अवस्थित होना स्वीकार है किन्तु वह वादी की नही है और वृद्धिशंकर ने प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मांगीलाल पुत्र छोटु कीर नि. भगता की झुपडिया को सप्रतिफल दिनांक 16.08.1961 को विक्रय कर विक्रय दस्तावेज का पंजीकरण करा दिया तब से क्रेता उसका काबिल खातेदार हो गया और उसके पश्चात वादीगण उनके वारिसान होने से वे ही इस जायदाद के खातेदार एव

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

आधिपत्यधारी हुये। इस प्रकार वादपत्र के इस पद मे वादी ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है कि विवादित जायदाद पर वादी का कब्जा और खातेदारी हो। क्रय सुदा जायदाद जिसके साबिक नं. 654/2 रकबा 8.14 बीघा को वृद्धिशंकर ने साधिकार प्रतिवादीगण के पुर्वाधिकारी को विक्रय किया हैं अब प्रतिवादीगण उसके खातेदार हो गये अस्तु वादी ने यह मिथ्या तथ्य अंकित किये की वादी काबिल खातेदार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा उपयोग उपभोग हैं विवादित जायदाद वृद्धि शंकर ने पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी उत्तरदाताओं को सप्रतिफल विक्रय कर कब्जा सोपा और वे खातेदार हुये है और वर्तमान मे भी काबिल खातेदार है वृद्धि शंकर ने दिनांक 16.08.61 को सप्रतिफल विवादित जायदाद प्रतिवादी उत्तरदाताओ को पुर्वाधिकारी मांगीलाल पुत्र छोटु कीर को विक्रय कर विक्रय दस्तावेज निष्पादित व पंजीकृत करा कब्जा सौप दिया और स्वंय ने तत्पश्चात समुचित अधिकारी को आवेदन देकर खाता क्रेता के नाम बदलवाया। वादी पंजीकृत विक्रय विलेख जिस पर वृद्धिशंकर के हस्ताक्षर है के आधार पर और उसके बाद चूंकि संभवत वद्धिशंकर हस्ताक्षर नही कर पा रहे थे। अतः उसकी निशानी युक्त आवेदन को बाद में पेश किये गये थें वैसे ऐसा आवेदन बाद मे पेश होना आवश्यक भी नही था और मात्र वे आवेदन खाता परिवर्तित करने का आधार नही हैं। प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल के नाम दर्ज हुई। मांगीलाल के चार पुत्र भागुता नारायण नन्दा व बख्तावर हुये जिसमे भागुता व नारायण जिवित है और बाकी के वारिसान होकर उनके नाम पर खाता है वैसे धारा 42 राजस्थान टिनेन्स अधिनियम वर्तमान मामले मे प्रभावी नही होता हैं इन सभी तथ्यो के परे भी विधि मे संशोधन के द्वारा धारा 42 के प्रावधान समाप्त हो गये है यह आपत्ति निराधार है। प्रतिवादीगण के नाम पर की गई खातेदारी अधिकार व इन्द्राजात किसी भी रूप मे गलत नही है और वादी इन्हे खारिज कराने की अधिकारी नही हैं और न ही यह भूमि अपने नाम पर कराने की हकदार है। वादी किसी भी रूप से विवादित जायदाद अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने की अधिकारी नही है। जायदाद अवश्य जहाजपुर क्षेत्र में स्थित हैं किन्तु विक्रय विलेख के द्वारा जायदाद मांगीलाल के नाम पर और उसके बाद प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम पर आई हैं। मात्र इस राजस्व वाद के द्वारा वादी अपने नाम पर कराने की अधिकारी नही है और जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय विलेख को खारिज नही कराया जाता और उस पर न्यायालय शुल्क अदा नही किया जाता तब तक यह वाद किसी भी रूप मे राजस्व न्यायालय में पोषनीय नही हैं। व न ही वाद विहित परिसीमा अवधि में है। वादी का वाद सारहीन होकर विषय व्यय सहित खरिज कराना फरमावे।

वादी ने वादपत्र की ताईद में भु प्रबन्ध विभाग के आज्ञा पत्र की फोटो प्रति, वादिया के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2027 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 की प्रति, खसरा की नकल प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 की प्रति, वन विभाग संयुक्त राजस्थान सरकार का पत्र प्रस्तुत कीये गये है। वकील प्रतिवादी ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 की प्रति, मिलान खसरा की नकल, पंजिकृत विक्रय पत्र की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2027 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 की प्रति, वादिया प्रेम देवी ने ललिता देवी का बेचान की जमीन का पंजीयन दस्तावेज, आ.न. 5760 की वर्तमान खाते की नकल प्रस्तुत की गई। जो शामिल फाईल है। वादिया ने श्रीमति प्रेमबाई पी डब्ल्यु 1, मगना पी डब्ल्यु 2 के ब्यान कराये गये। वादीया द्वारा और कोई बयान नही कराये जाने से साक्ष्य वादी बन्द की गई।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित आराजियात वादीया के पिता से प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल कीर वगैरा ने दिनांक 14.08.1961 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

तत्पश्चात प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज हो गई। वादिया ने प्रतिवादीगणों के खिलाफ़ बिना पंजिकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय में शुन्य घोषित करवाये बिना ही घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है। वादिया ने दिनांक 14.03.2014 को विवादग्रस्त कृषि आराजियात का बेचान कर दिया गया है। जिसकों वाद पत्र में कोई पक्षकार नही बनाया गया है। तथा प्रतिवादीगणों की और से दिनांक 14.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की प्रेम बाई वादी ने दौराने वाद पत्र वादग्रस्त आराजियात को ललिता देवी पत्नि भंवर लाल मीणा नि. भगतो की झुपडिया को जरिये पंजिकृत दस्तावेज के विक्रय कर दी गई है। वादिया का कोई हित निहित नही रहा है। इसलिये इस वाद पत्र को खारिज किया जावे। ललिता देवी की और से आज दिनांक को प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाये जाने वादी पेश किया है। जो सारहीन होने से खारिज किया गया। चुकिं इस वाद पत्र मे वादिया प्रेम बाई ने अपने पिता द्वारा प्रतिवादीगणों के पक्ष में किया गया पंजिकृत विक्रय नामा को सिविल कोर्ट में शुन्य घोषित करवाने हेतु कोई चाराजोही नही की गई है। एवंम दौराने वाद पत्र विवादित कृषि आराजियात को भी बेचान कर दी गई है। अतः दौराने वाद उक्त विवादित भुमि को वादिया द्वारा जरिये विक्रय पत्र के बेचान कर दिया जाने से वादीया का इस वाद पत्र मे कोई हित निहित नही होने से वादिया दाद पाने की अधिकारी नही होने से वाद पत्र खारिज किया जाना उचित है। जिससे वादीया के वाद पत्र को न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

अतः वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: